अध्याय 10
प्रतिदाय

नियम 89 : कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन

(1) धारा 55 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के सिवाय, कोई व्यक्ति, जो [1][धारा 49 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इलैक्ट्रानिक नकद खाता बही में किसी भी शेष राशि का, या] किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय से भिन्न भारत के बाहर निर्यात्ति माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से **प्ररूप जीएसटीआरएफडी–01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से [2][नियम 10ख के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए] आवेदन फाइल कर सकेगा :

[3][......]

[4][**परन्तु** कि] विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदायों की बाबत, प्रतिदाय के लिए आवेदन–

(क) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे माल को पूर्णतया स्वीकार किए जाने के पश्चात् माल के प्रदायकर्ता द्वारा(

(ख) जोन के विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा यथा पृष्ठांकित प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए सेवाओं की प्राप्ति के बारे में ऐसे साक्ष्य के साथ सेवाओं के प्रदायकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा :

[5][[6][**परन्तु** यह और भी] कि समझे गए निर्यातों के रूप में मानी गई पूर्तियों की बाबत्, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा,–

(क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता(या

(ख) उन मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात का पूर्तिकर्ता।]

परन्तु यह भी कि किसी रकम का प्रतिदाय, रजिस्ट्रेशन के समय धारा 27 के अधीन उसके द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर में से आवेदक द्वारा संदेय कर के समायोजन के पश्चात

---

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

2 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 38/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा परंतुक विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"**परन्तु** धारा 49 की उप–धारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अतिशेष से सम्बन्धित प्रतिदाय के लिए कोई दावा, यथास्थिति, **प्ररूप जीएसटीआर–3** या **प्ररूप जीएसटीआर–4** या **प्ररूप जीएसटीआर–7** में सुसंगत कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी के माध्यम से किया जा सकेगा :"

4 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द **''परंतु यह और भी''** प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

5 अधिसूचना क्रमांक 47/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.10.2017 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.10.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह परंतुक इस प्रकार था :

''परन्तु यह भी कि निर्यात के रूप में समझे जाने वाले प्रदाय के बाबत् आवेदन निर्यात समझे जाने वाले प्रदाय के प्राप्तकर्ता द्वारा फाइल किया जाएगा :''

6 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द ''**परंतु यह भी''** प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

[7]**[**इस प्रकार प्रस्तुत की गई उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में**]** दावा की जाएगी।

[8]**[स्पष्टीकरण**—इन उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''विनिर्दिष्ट अधिकारी'' से विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम (2) के अधीन यथा परिभाषित कोई ''विनिर्दिष्ट अधिकारी'' या कोई ''प्राधिकृत अधिकारी'' अभिप्रेत है।**]**

[9]**[(1क)** अधिनियम की धारा 77 के अधीन उसके द्वारा संदत्त किसी कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उसके द्वारा अन्तः राज्य प्रदाय समझे गए संव्यवहार के संबंध में, जो पश्चात्वर्ती अन्तर–राज्य प्रदाय माना गया, अन्तर–राज्य प्रदाय पर कर के संदाय की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप **जीएसटी आएफडी–01** में इलेक्ट्रानिक ढंग से आवेदन कर सकेगा :

परन्तु उक्त आवेदन इस उपनियम के प्रभावी होने के पूर्व अन्तर–राज्य प्रदाय पर कर के किसी संदाय के संबंध में उस तारीख से जिस से यह उपनियम प्रभावी होता है दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व फाइल किया जाएगा।**]**

[10]**[(1ख)** कोई भी व्यक्ति, निर्यात के पश्चात माल की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, और जिस पर ऐसे माल के निर्यात के समय संदत्त किए गए एकीकृत कर का प्रतिदायनियम 96 के उपबंधों के अनुसार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, धारा 54 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (क) के अनुसार सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व, नियम 10ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सामान्य पोर्टल के माध्यम से **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के ऐसी प्रतिदाय के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है :

परंतु प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन, उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 54 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (क) के अनुसार सुसंगत तारीख इस उप–नियम के लागू होने की तारीख से पहले थी, इस उप–नियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पहले दाखिल किया जा सकता है।**]**

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** के **उपाबंध–1** में निम्ननिलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में जो लागू हो, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है, में से किसी के साथ, होगा :–

(क) आदेश की निर्देश संख्या और प्रतिदाय के रूप में दावा की गई धारा 107 की उपधारा (6) और धारा 112 की उप धारा (8) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय की निर्देश संख्या या ऐसी प्रतिदाय जो समुचित अधिकारी या किसी अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय अधिकरण या न्यायालय के आदेश के परिणामिक हो, द्वारा पारित आदेश की प्रति;

---

[7] अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा शब्द ''उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अंतिम विवरणी में'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

[8] अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

[9] अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा उपधारा (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 24.09.2021)।

[10] अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा उपधारा (1ख) एवं परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

ख) ऐसा कथन जिसमें संख्या और पोत पत्र की तारीख या निर्यात पत्र और सुसंगत निर्यात बीजक की संख्या तथा तारीख होगी, उस दशा में जहां माल के निर्यात [11]**[**,विद्युत से भिन्न,**]** के संबंध में प्रतिदाय है ;

[12]**[(खक)** उस दशा में, जहां प्रतिदाय विद्युत के निर्यात के कारण होता है, वहां, निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख अंतर्विष्ट होने वाला विवरण, निर्यातित उर्जा के ब्यौरे, करार के अनुसार विद्युत के निर्यात के लिए प्रति यूनिट टैरिफ के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उप विनियम (1) के खंड (ढढढ) के अधीन क्षेत्रीय लेखा उर्जा (आरईए) के भाग के रूप में क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय द्वारा जारी उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यातित विद्युत के लिए अनुसूचित उर्जा के विवरण की प्रति तथा निर्यातित उर्जा के ब्यौरे प्रति यूनिट टैरिफ का उल्लेख करने वाले करार के प्रति;**]**

[13]**[(खख)** निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे बीजकों की प्रति, शिपिंग बिलों का निर्यात बिलों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों की प्रति, प्राधिकृत व्यौहारी–1 बैंक द्वारा जारी ऐसे शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों के संबंध में बैंक वसूली प्रमाणन या विदेशी आवक प्रेषक प्रमाणन की संख्या और तारीख के साथ ऐसे बैंक वसूली प्रमाणन या विदेशी आवक प्रेषक प्रमाणन की प्रति, नियम 96 के उप–नियम (3) के अधीन पहले से स्वीकृत किए गए प्रतिदाय का ब्यौरा, कीमतों में उर्ध्व पुनरीक्षण के पश्चात जारी किए गए सुसंगत पूरक बीजकों या विकलन नोटों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे पूरक बीजकों या विकलन नोटों की प्रति, एकीकृत कर की अतिरिक्त रकम और उस संदत्त ब्याज के संदाय के सबूत के साथ एकीकृत कर की ऐसी अतिरिक्त रकम के संदाय का ब्यौरा, जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय कर दावा किया गया है, अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा जारी इस प्रभाव के प्रमाणन कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण निर्यात के पश्चात माल की कीमत में इस तरह के उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण है के साथ निर्यात की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त उक्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण के संबंध में प्राधिकृत व्यौहारी–1 बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणन की संख्या और तारीख के साथ ऐसे विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणन के प्रति, और निर्यातित माल की कीमत के पुनरीक्षण की आवश्यकता और उसके कीमत पुनरीक्षण को उपदर्शित करते हुए, यथा लागू, संविदा/अन्य दस्तावेजों की प्रति, ऐसे मामले में जहां प्रतिदाय निर्यात के पश्चात ऐसे माल की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण है :

(खग) उस दशा में प्रतिदाय निर्यात के पश्चात ऐसे माल की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण होता है, बैंक वसूली प्रमाण पत्र या प्राधिकृत व्यौहारी–1 बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र के सुसंगत विवरण के साथ जारी किए गए पूरक बीजक/विकलन नोट/प्रत्यय नोट में घोषित पूर्ति के मूल्य का समाधान करते हुए, सुलह विवर;**]**

(ग) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख तथा यथा स्थिति सुसंगत बैंक वसूली प्रमाण पत्र या विदेश आवक विप्रेषणादेश प्रमाण पत्र हैं, उस दशा में जहां प्रतिदाय सेवाओं के निर्यात के लिए है;

---

11 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

12 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा खंड (खक) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)।

13 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा खंड (खख) एवं (खग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

(घ) ऐसा कथन जिसमें नियम 26 में यथा प्रदत्त बीजक की संख्या और तारीख उप धारा (1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट पृष्ठांकन के संबंध में साक्ष्य के साथ है उस दशा में जहां विशेष आर्थिक जोन इकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल के प्रदाय के लिए है;

(ड.) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख, उप–नियम (1) के दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट के पृष्ठांकन के विषय में साक्ष्य तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के अधीन यथापरिभाषित प्राधिकृत प्रचालकों के लिए प्रदायकर्ता के प्राप्तकर्ता किए गए संदाय का ब्यौरा उसके सबूत के साथ, उस दशा में जहां प्रतिदाय विशेष आर्थिक जोन इकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को सेवाओं के प्रदाय के लिए है;

[14]**[(च)** इस प्रभाव की घोषणा की उस दशा में जहां किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मद्दे प्रतिदाय किया जाता है, वहां विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता से कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा।]

(छ) ऐसा कथन जिसमें बीजक की संख्या और तारीख इस निमित्त अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे अन्य साक्ष्य के साथ है, उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात समझे जाने वाले के बाबत है;

(ज) कोई कथन जिसमें प्राप्त तथा कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की संख्या और तारीख है, उस दशा में जहां दावा धारा 54 की उप धारा (3) के अधीन किसी अप्रयुक्त निवेश कर प्रत्यय के संबंध में है और जहां प्रत्यय शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदायों से भिन्न है निर्गम प्रदाय पर कर की दर से उच्चतर होने के कारण निवेश पर कर की दर के लेखा के संबंध में संचित किए जा चुके है;

(झ) अंतिम निर्धारण आदेश की निर्देश संख्या और उक्त आदेश की प्रति उस दशा में जहां प्रतिदाय अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के संबंध में उत्पन्न होता है;

(ञ) अंतर–राज्य प्रदाय के रूप में समझे गए संव्यवहारों के ब्यौरों को दर्शित करता हुआ ऐसा कथन लेकिन जो पश्चातवर्ती रूप से अंतर–राज्य प्रदान माना गया है;

(ट) [15]**[**ऐसा कथन जो कर और ब्याज, यदि कोई हो, या संदत्त की गई किसी अन्य रकम**]** के अधिक संदाय के संबंध में दावे की रकम के ब्यौरे प्रदर्शित करता हो;

[16]**[(टक)** एक विवरण जिसमें बीजक का विवरण शामिल है, अर्थात् संख्या, तारीख, मूल्य, भुगतान किया गया कर और भुगतान का विवरण, जिसके संबंध में धन वापसी का दावा किया जा रहा है, ऐसे बीजकों की प्रति, प्रदायकर्ता को इस तरह के भुगतान का प्रमाण, समझौते या रजिस्ट्रीकृत समझौते या अनुबंध की प्रति, जो भी लागू हो, सेवा

---

14 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा खंड (च) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(च)** इस आशय की घोषणा की विशेष आर्थिक जोन ईकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने माल या सेवाओं या दोनों के प्रतिदायकर्ता द्वारा संदत्त करके निवेश कर प्रत्यय को प्राप्त नहीं किया है, उस दशा में प्रतिदाय जहां विशेष आर्थिक जोन ईकाई या किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए है;"

15 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा शब्द ''ऐसा कथन जो कर'' प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)।

16 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा उपनियम (टक) एवं (टख) अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

की प्रदाय के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ दर्ज किया गया, प्रदायकर्ता द्वारा सेवा की आपूर्ति के लिए समझौते या अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने के लिए जारी किया गया पत्र, प्रदायकर्ता से प्राप्त भुगतान का विवरण, इस तरह के समझौते को रद्द करने या समाप्त करने के प्रमाण के साथ, एक मामले में जहां एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया जाता है, जहां सेवा की आपूर्ति के लिए अनुबंध या अनुबंध को रद्द या समाप्त कर दिया गया है।

(टख) आपूर्तिकर्ता द्वारा इस आशय के लिये जारी किया गया एक प्रमाण पत्र कि उसने बीजक के संबंध में कर का भुगतान किया है, जिस पर आवेदक द्वारा धन वापसी का दावा किया जा रहा है; कि उसने क्रेडिट नोट जारी करके इन बीजकों में शामिल कर राशि को अपनी कर देयता के विरूद्ध समायोजित नहीं किया है; और यह भी, कि उसने इन बीजकों के संबंध में शामिल कर की राशि की वापसी का दावा नहीं किया है और न ही करेगा, ऐसे मामले में जहां एक अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया जाता है जहां सेवा की आपूर्ति के लिये करार या संविदा रद्द कर दी गई है या समाप्त कर दी गई है;]

(ठ) इस आशय की घोषणा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई कोई अन्य रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है, उस दशा में जहां प्रतिदाय की रकम दो लाख रूपए से अधिक नहीं है ;

परन्तु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है;

(ड) **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01** के उपाबंध–2 में प्रमाण–पत्र जो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत एकाउंटेंट द्वारा इस आशय में जारी किया जाएगा कि कर का भाग, ब्याज या प्रतिदाय के रूप में दावा की गई अन्य कोई रकम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई है उस दशा में जहां दावा किए गए प्रतिदाय की रकम दो लाख रूपए से अधिक हो ;

परन्तु यह कि घोषणा धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में की जानी अपेक्षित नहीं है;

[17]**[परंतु यह और** कि उन मामलों में जहां ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धन वापसी का दावा किया गया है जिसने कर भर वहॉ किया हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।**]**

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए–

(i) धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रतिदाय की दशा में पद ''बीजक'' से धारा 31 के उपबंधों को पुष्ट करने वाला बीजक अभिप्रेत है;

(ii) जहां कर की रकम प्राप्तकर्ता से वसूल की जा चुकी है तो यह समझा जाएगा कि कर का भार वास्तविक उपभोक्ता पर चला गया है।

(3) जहां आवेदन निवेश कर प्रत्यय के प्रतिदाय से संबंधित है वहां इलेक्ट्रानिक प्रत्यय बही ऐसे दावा किए गए प्रतिदाय की रकम के बराबर आवेदक द्वारा विकलित किया जाएगा।

[18]**[(4)** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर का संदाय किए बगैर

---

17 अधिसूचना क्रमांक 26/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा परंतुक अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)।

312 अधिसूचना क्रमांक 75/2017–केंद्रिय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपनियम (4) प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

(4) माल या सेवा या दोनों के शून्य–दर प्रदाय की दशा में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में वचन–पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार प्रदाय किया जाएगा –

माल या सेवाओं या दोनों के शून्य दर प्रदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा,–

प्रतिदाय की रकम = (माल के शून्य दर प्रदाय का आवर्त + सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त) x शु) आई टी सी ÷ समायोजित कुल आवर्त

जहां,–

(अ) ''प्रतिदाय की रकम'' से ऐसा अधिकतम प्रतिदाय अभिप्रेत है जो अनुज्ञेय हो;

(आ) ''शुद्ध आई टी सी'' से ऐसे [19]**[......]**, ऐसी सुसंगत अवधि के दौरान इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है;

[20]**[(इ)** ''मालों का शून्य–दर पूर्ति का आवर्त'' का अर्थ बंधपत्र या उपक्रम पत्र या कीमत के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की शून्य दर की पूर्ति की कीमत है जो प्रदायकर्ता द्वारा यथाघोषित् वही या समान रूप से रखे गए प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू मालों की पूर्ति के बराबर की कीमत का 1.5 गुना है, [21]**[......]** से कम है;**]**

(ई) ''सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के आवर्त'' से बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर संदाय बिना निम्नलिखित रीति में संगणित किए गए सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है, अर्थात् :

प्रतिदाय रकम = (माल के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त + सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त) x सकल आई टी सी ÷ समायोजित कुल व्यापारआवर्त

जहां :

(अ) ''प्रतिदाय रकम'' से अधिकतम प्रतिदाय जो अनुज्ञेय है, अभिप्रेत है(

(आ) ''शु) आईटीसी'' से सुसंगत अवधि के दौरान निवेश और आवक सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय अभिप्रेत है(

(इ) ''माल के शून्य दर प्रदाय का टर्नओवर'' से वचन–पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है(

(ई) ''सेवा के शून्य दर प्रदाय का व्यापारआवर्त'' से वचन–पत्र के बंध या पत्र के अधीन कर के संदाय बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए सेवा के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है जो निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा अर्थात्,
''सेवा के शून्य दर प्रदाय, सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए संदायों का योग है और सेवा के शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूरा किया जा चुका है जिसके लिए संदाय अग्रिम में किसी अवधि के पूर्व सेवा के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा सुसंगत अवधि के लिए कटौती की जा चुकी है जिसके लिए सेवा का प्रदाय उस सुसंगत अवधि के दौरान पूरा नहीं किया गया है;

(उ) ''समायोजित कुल व्यापारआवर्त'' से धारा 2 की *[खंड (112)] के अधीन यथा परिभाषित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्रदायों के मूल्य को छोड़कर व्यापारआवर्त अभिप्रेत है;

(ऊ) ''सुसंगत अवधि'' से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा किया गया है।

* अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा ''उप–धारा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

[19] अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा ''उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)।

[20] अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा खंड (इ) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थे :–

(इ) ''माल के शून्य दर प्रदाय के आवर्त'' से ऐसे प्रदायों के आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किये गये माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है।

[21] अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा ''जो उपनियम 4(क) या उपनियम 4(ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापारवर्त'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)।

सेवाओं का शून्य दर प्रदाय, सेवाओं के शून्य पर प्रदाय के लिए सुसंगत अवधि के दौरान प्राप्त संदायों का योग है और संदायों का शून्य प्रदाय जहां प्रदाय पूर्ण हो गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि से पहले की किसी अवधि में अग्रिम के तौर पर संदाय प्राप्त हुआ था जिसे सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है जिसके लिए सुसंगत अवधि के दौरान सेवाओं का प्रदाय पूर्ण नहीं हुआ है;

[22]**[(उ)** ''समायोजित कुल आवर्त'' से सुसंगत अवधि के दौरान–

(क) धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित, किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त का, सेवाओं के आवर्त को छोड़कर; और

(ख) उपरोक्त खंड (ई) के निबंधनों में अवधारित सेवाओं के शून्य–दर प्रदाय और सेवाओं के गैर–शून्य दर प्रदाय के आवर्त,

[23][के मूल्य का कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य सम्मिलित नही है]**]**

(ऊ) ''सुसंगत अवधि'' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा फाइल किया गया है।

[24]**[स्पष्टीकरण**– इस उपनियम के प्रयोजनों के लिये, भारत से बाहर निर्यात किये गये माल का मूल्य निम्नलिखित के रूप में माना जायेगा –

(i) पोत परिवहन पत्र और निर्यात पत्र (प्ररूप) विनियम 2017 के अनुसार, यथास्थिति, पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र प्ररूप में घोषित फ्री ऑनबोर्ड मूल्य; या

(ii) कर बीजक या प्रदाय पत्र में घोषित मूल्य,

इनमें से जो भी कम हो।**]**

[25]**[......]**

---

[22] अधिसूचना क्रमांक 39/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा खंड (उ) स्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''(उ) ''समायोजित कुल आवर्त'' से सुसंगत अवधि के दौरान,–

(क) शून्य दर प्रदायों के भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य और

(ख) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा, यदि कोई हो, किया गया है,

को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के ***[**खंड (112)**]** के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र का आवर्त अभिप्रेत है।''

* अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा ''उपधारा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

[23] अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

''के कुल योग अभिप्रेत है, जिसमें,–

(i) शून्य–दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों का मूल्य(और

(ii) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिनके संबंध में उपनियम (4अ) या उपनियम (4आ) या दोनों के अधीन प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा किया गया है,

सम्मिलित नहीं है।''

[24] अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा स्पष्टीकरण अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)

[25] अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा उपनियम (4क) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

''[A]**[(4क)** प्राप्त आपूर्तियों की दशा में जिन पर आपूर्तिकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 48/2017–केन्द्रीय कर, 18 अक्टूबर, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.क.नि. 1305 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी का लाभ उठाया है को माल या

[26][……]

[27][(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा :

सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति शून्य–दर बनाने के लिए उपयोग की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय प्रदान किया जाएगा।]

A. अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा उपनियम (4क) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(4क)** ऐसे प्राप्त प्रदायों की दशा में जिन पर प्रदायकर्ता ने अधिसूचना संख्यांक 48/2017–केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है, माल या सेवाओं को शून्य दर प्रदाय बनाने में उपयोग किए गए अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुदत्त किया जाएगा।"

26 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा उपनियम (4ख) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

[A][**(4ख)** जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने–

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त किए है, जिस पर प्रदायकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (प) में सा.का.नि. संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017–केन्द्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (प) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है(या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (प) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (प) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया,

वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा।

A. अधिसूचना क्रमांक 54/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 09.10.2018 द्वारा उप–नियम (4ख) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 09.10.2018)। दिनांक 23.10.2017 से 08.10.2018 तक यह इस प्रकार था :

"[B][**(4ख)** प्राप्त आपूर्ति की दशा में, जिन पर आपूर्तिकर्ता ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.क.नि. 1320(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017–केन्द्रीय कर (दर) तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1321(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) तारीख 23 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1272(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमा शुल्क तारीख 13 अक्टूबर, 2017 अथवा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.क.नि. सं. 1299(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमा–शुल्क कर तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या उन सभी का लाभ उठाया है, को माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचना के अधीन प्राप्त इनपुट के संबंध में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने के लिए उपयोग के विस्तार तक की गई अन्य इनपुट या इनपुट सेवा के संबंध में उपयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय प्रदान की जाएगी।]"

B. पहले अधिसूचना क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा उप–नियम (4ख) अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। उसके पहले यह उप–नियम अधिसूचना क्रमांक 75/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2017 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 23.10.2017)। चूंकि संशोधन दिनांक 23.01.2018 को प्रभावशील दिनांक 23.10.2017 से किया गया है अतः पहले के प्रावधानों को नहीं दिया जा रहा है।

27 अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा उप–नियम (5) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। पहले अधिसूचना क्रमांक 21/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.04.2018 द्वारा यह उप–नियम प्रतिस्थापित किया गया था (प्रभावशील दिनांक 18.04.2018)। चूंकि संशोधन दिनांक 13.06.2018 द्वारा किये गये

अधिकतम प्रतिदाय की रकम = {(व्युतक्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय की आवर्त) × शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त} – [28][{ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर × (शुद्ध आईटीसी ÷ इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर लिये गये आईटीसी)}]

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "शुद्ध आईटीसी" पद से सुसंगत अवधि के दौरान, [29][......] इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है; और

[30]**[(ख)** "समायोजित कुल आवर्त" और "सुसंगत अवधि" के वही अर्थ होंगे जो उनके उपनियम (4) में है।]

संशोधन को दिनांक 01.07.2017 से प्रभावशील किया गया है, अतः पहले के प्रावधानों को नहीं दिया जा रहा है।

28 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा शब्द "ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर" प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)

29 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा "ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है," विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.10.2024)।

30 अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा खंड (ख) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(ख)** "समायोजित कुल आवर्त" पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में उसका है।"